Helpline **1064**

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में आबकारी निरीक्षक को 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *13 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सिरोही इकाई द्वारा आज शनिवार को जालोर में कार्यवाही करते हुये पुलिस निरीक्षक सवाई सिंह रत्नू हाल प्रतिनियुक्ति आबकारी निरीक्षक, जालोर को 7 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. सिरोही इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि शराब की लाईसेंसशुदा दुकानों की मासिक 5000 रुपये बंधी के रूप में देने के लिये पुलिस निरीक्षक सवाई सिंह रत्नू हाल प्रतिनियुक्ति आबकारी निरीक्षक, जालोर द्वारा जनवरी से मार्च तक तीन माह के 15 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सिरोही इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नारायण सिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उनकी टीम** के द्वारा जालोर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये पुलिस निरीक्षक सवाई सिंह रत्नू हाल प्रतिनियुक्ति आबकारी निरीक्षक, जालोर को परिवादी से 7 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी आबकारी निरीक्षक द्वारा परिवादी से 8 हजार रुपये प्राप्त कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।